

भारतीय रेल
डी0 रे0 का0/वाराणसी

ध्यानाकर्षण : वर्ष 2016 से पूर्व के डीरेका के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स हेतु

01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त/मृत्यु हुए डीरेका कर्मचारियों का सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन /पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण करके संशोधित पी0 पी0ओ0 जारी किया जाना है । ऐसे पेंशन धारको के बारे में सूचना आसानी से सुलभ हो इसलिये दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत्यु कर्मचारियों या उनके आश्रितों से अनुरोध है कि कृपया निम्न फार्म/प्रोफार्मा में अपना आवेदन करें । आवेदन करने की अंतिम तिथि 30/09/2017 है ।

नोट: पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर जिनका पी0 पी0ओ0 सातवे वेतन आयोग के आधार पर रिवाइज किया जा चुका है, कृपया वे आवेदन ना करें ।

सेवा में, म0 प्र0(का0)/मु0 याँ0 अभि0(का0)/लेखा विभाग / सेटलमेन्ट अनुभाग, डीरेका,वाराणसी ।

विषय:- 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के पी0 पी0ओ0 के संशोधन के सम्बन्ध में आवेदन ।

1. आवेदक का नाम
2. सेवानिवृत्त/मृत्यु कर्मचारी का नाम
3. पदनाम
4. सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथिनियुक्ति तिथि
5. जन्मतिथिविभाग/कार्यालय
6. अन्तिम वेतन वेतनमान
7. मूल पेंशन
8. बैंक द्वारा 01.01.2016 को भुगतान की गयी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का राशि
9. पी0 पी0ओ0 संख्या एवं दिनांक
.....
10. बैंक खाता संख्या
11. बैंक का नाम, शाखा व पता
12. पेंशनर का वर्तमान पता
13. फोन/मोबाइल नं0.....
14. स्वयं एव परिवार के सदस्यों का विवरण :-

क्र0 स0	नाम (सर्वश्री)	सेवानिवृत्त कर्मचारी से सम्बन्ध	विवाहित/अविवाहित	आधार संख्या

यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी के पत्नी/पति की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

दिनांक..... हस्ताक्षर

स्थान..... पूरा नाम.....

संलग्न करें :-1. पी0 पी0ओ0 की स्पष्ट छाया प्रति (2) पेंशन भुगतान के प्रमाण स्वरूप बैंक पास बुक की नवीनतम प्रविष्टी की छाया प्रति (3) पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता एवं पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र परिवार के सदस्य के जन्मतिथि के प्रमाण स्वरूप निम्न में से एक की छायाप्रति संलग्न करें । (i) पेन कार्ड (ii) मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो) (iii) पासपोर्ट (iv) आर0ई0एल0एच0एस0 कार्ड (v) ड्राइविंग लाइसेंस (यदि उसमें जन्मतिथि अंकित हो) (vi) पोस्ट रिटायरमेंट पास/पहचान पत्र,विधवा पास/पहचान पत्र, आधार कार्ड (vii) यदि आवेदक मैट्रिकुलेशन पास नहीं है एवं उसके पास उपरोक्त (i) से (vi) तक के दस्तावेज/प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो मतदाता पहचान पत्र । आवेदनकर्ता आवेदन फार्म सही एवं पूर्णरूप से भरकर एवं सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त ही जमा करे, नहीं तो उनके पी0 पी0ओ0 संशोधन का कार्य कर पाना संभव नहीं होगा । यह आवेदन पत्र डी0 रे0 का0 के वेब साइट www.dlw.indianrailways.gov.in पर भी उपलब्ध है ।